न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि०न० – 42/2022

अनवान : –

1. हरसुख लाल पुत्र श्री रामदयाल जाति जाट साकिन रामबास तहसील भादरा।
2. कृष्ण कुमार पुत्र श्री रामदयाल जाति जाट साकिन रामबास तहसील भादरा।

:–प्रार्थी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:–अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र रिकॉर्डदुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट
उपस्थिति :–श्री किशनलाल यादव प्रार्थी
राजपैरोकार अप्रार्थी

निर्णय दिनांक: 03.09.2025

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा रामबास के खाता संख्या 27/19 के खसरा संख्या 169 की तादादी 2.340 है० बारानी प्रार्थीगण के नाम संयुक्त खाते में दर्ज रिकॉर्ड है उक्त राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी संख्या 1 का नाम सुखलाल पुत्र रामदयाल व प्रार्थी संख्या 2 का नाम किशनलाल पुत्र रामदयाल व प्रार्थीगण के पिता के नाम रामदयाल पुत्र फुसाराम दर्ज है जो कि सही नहीं हैं जबकि प्रार्थी संख्या 1 का सही नाम हरसुख लाल पुत्र रामदयाल व प्रार्थी संख्या 2 का सही नाम कृष्ण कुमार पुत्र रामदयाल तथा प्रार्थीगण के पिता का सही नाम रामदयाल पुत्र आशाराम है, इसी क्रम में रौही मौजा रामबास के खाता संख्या 69/126 में खसरा संख्या 16, 17, 174, 328, 395, 53 कुल तादादी 31.309 है० में प्रार्थी संख्या 2 का नाम रामकिशन पुत्र रामदयाल सा० रामबास हाल आबाद सरदारगढिया दर्ज रिकॉर्ड है जबकि प्रार्थी संख्या 2 का सही नाम कृष्ण कुमार पुत्र रामदयाल साकिन रामबास है जिसे सही किये जाने का निवेदन है।

प्रार्थी के जिनके सभी दस्तावेजों आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र एंव अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी संख्या 1 का सही नाम हरसुख लाल पुत्र रामदयाल व प्रार्थी संख्या 2 का सही नाम कृष्ण कुमार पुत्र रामदयाल एवं प्रार्थीगण के पिता का सही नाम रामदयाल पुत्र आशाराम दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सही प्रकार से उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती करवा पाने के कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद राजपैरोकार तहसीलदार भादरा ने अपना जवाब पेश किया।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि रोही मौजा रामबास के खाता संख्या 27/19 के खसरा संख्या 169 की तादादी 2.340 है० प्रार्थी संख्या 1 का नाम सुखलाल पुत्र रामदयाल, प्रार्थी संख्या 2 का नाम किशनलाल पुत्र रामदयाल एवं प्रार्थीगण के पिता का नाम रामदयाल पुत्र फुसाराम के नाम दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.09.24 15:01:33 IST
Reason: SelfAttested

रिकॉर्ड है एवं इसी क्रम में रोही मौजा रामवास के खाता संख्या 69/126 में प्रार्थी संख्या 2 का नाम रामकिशन पुत्र रामदयाल सा0 रामवास हाल आवाद सरदारगढिया के नाम दर्ज रिकॉर्ड है, जबकि प्रार्थी संख्या 1 का सही नाम हरसुख लाल पुत्र रामदयाल, प्रार्थी संख्या 2 का नाम कृष्ण कुमार पुत्र रामदयाल एवं प्रार्थीगण के पिता का सही नाम रामदयाल पुत्र आशाराम है एवं रामबास के खाता संख्या 69/126 में प्रार्थी संख्या 2 का नाम रामकिशन पुत्र रामदयाल सा0 रामबास हाल आबाद सरदारगढिया के स्थान पर सही नाम कृष्ण कुमार पुत्र रामदयाल साकिन रामबास किया जावें ताकि प्रार्थीगण अपनी वादभूमि का सही उपयोग उपभोग कर सके।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजात तथा तहसीलदार भादरा से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थना पत्र प्रार्थी व रिपोर्ट तहसीलदार के स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा मौजा रामबास के खाता संख्या 27/19 के खसरा संख्या 169 की तादादी 2.340 है0 प्रार्थी संख्या 1 का नाम सुखलाल पुत्र रामदयाल, प्रार्थी संख्या 2 का नाम किशनलाल पुत्र रामदयाल एवं प्रार्थीगण के पिता का नाम रामदयाल पुत्र फुसाराम दर्ज है जिसमें प्रार्थी संख्या 1 का नाम सुखलाल पुत्र रामदयाल के स्थान पर हरसुख लाल पुत्र रामदयाल व प्रार्थी संख्या 2 का नाम किशनलाल पुत्र रामदयाल के स्थान पर कृष्ण कुमार पुत्र रामदयाल एवं प्रार्थीगण के पिता का नाम रामदयाल पुत्र फुसाराम के स्थान पर रामदयाल पुत्र आशाराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे एवं इसी क्रम में रोही मौजा रामबास के खाता संख्या 69/126 में प्रार्थी संख्या 2 का नाम रामकिशन पुत्र रामदयाल सा0 रामबास हाल आबाद सरदारगढिया के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज है जिसमें प्रार्थी संख्या 2 का नाम रामकिशन पुत्र रामदयाल सा0 रामबास हाल आबाद सरदारगढिया के स्थान पर कृष्ण कुमार पुत्र रामदयाल सा0 रामबास दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे एंव यदि कृषि भूमि बैंक रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें। तथा यदि पूर्व में किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि राजू पुत्र गंगाराम व राजेन्द्र पुत्र चूसीदेवी के नाम से हो तो उसके लिए पूर्व नाम राजू पुत्र गंगाराम व राजेन्द्र पुत्र चूसीदेवी ही लागू होगा। नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो. और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो प्रार्थीगण स्वयं जिम्मेदार होगें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.09.24 15:01:33 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 03.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(कल्पित शिवरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी, (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़